संख्या-62/2020/1092 /बावन-1-2020-अधि0(बजट)/19

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण,
उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 16 सितम्बर, 2020

विषय- वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में 04-मण्डलीय तथा जिला कार्यालय अधिष्ठान के विभिन्न मानक मदों में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष 06 माह की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-1260/अ0सं0क0नि0-52/लेखा/बजट-प्रावि/2020-21, दिनांक 27.08.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा विषयांकित मद की अवशेष धनराशि निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक-2070-001-04-मण्डलीय तथा जिला कार्यालय अधिष्ठान के विभिन्न मानक मदों में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रथम 06 माह हेतु स्वीकृत धनराशि रू0 1129.05 लाख शासनादेश संख्या-51/2020/555/बावन-1-2020-अधि0(बजट)/19, दिनांक 15.04.2020 द्वारा पूर्व में निर्गत की जा चुकी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में मण्डलीय तथा जिला कार्यालय हेतु अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक-2070-001-04 के मानक मद के अन्तर्गत विभिन्न मदों में प्राविधानित कुल धनराशि रू0 2258.10 लाख के सापेक्ष अवशेष 06 माह हेतु स्वीकृत धनराशि रू0 1129.05 लाख (रूपये ग्यारह करोड़ उन्तीस लाख पांच हजार मात्र) को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

लेखाशीर्षक 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं-
001-निदेशन तथा प्रशासन-
04-मण्डलीय तथा जिला कार्यालय–

http://shasanadesh.up.gov.in

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2020-21 का बजट प्राविधान	वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रथम 06 माह हेतु पूर्व में निर्गत धनराशि	अवमुक्ति हेतु प्रस्तावित अवशेष 06 माह हेतु स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	5
1	01-वेतन	1238.24	619.12	619.12
2	02-मजदूरी	3.00	1.500	1.500
3	03-मंहगाई भत्ता	309.56	154.780	154.780
4	04-यात्रा-व्यय	5.00	2.500	2.500
5	05-स्थानान्तरण यात्रा-व्यय	3.00	1.500	1.500
6	06-अन्य भत्ते	10.00	5.000	5.000
7	07-मानदेय	2.00	1.000	1.000
8	08-कार्यालय-व्यय	40.00	20.000	20.000
9	09-विद्युत देय	15.00	7.500	7.500
10	11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	45.00	22.500	22.500
11	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	8.00	4.000	4.000
12	13-टेलीफोन पर व्यय	10.00	5.000	5.000
13	15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	30.00	15.000	15.000
14	16-व्यावसायिक एवं विशेष सेवा के लिए भुगतान	20.50	10.250	10.250
15	17-किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	5.00	2.500	2.500
16	42-अन्य व्यय	50.00	25.000	25.000
17	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.20	0.100	0.100
18	45-अवकाश यात्रा व्यय	1.10	0.550	0.550
19	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफटवेयर का क्रय	10.00	5.000	5.000
20	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरीका क्रय	20.00	10.000	10.000
21	49-चिकित्सा व्यय	10.00	5.000	5.000
22	51-वर्दी व्यय	2.50	1.250	1.250
23	52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष(राजकीय)	0.00	0.00	0.00
24	55-मकान किराया भत्ता	50.00	25.00	25.00
25	56-नगर प्रतिकर भत्ता	20.00	10.00	10.00
26	58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	350.00	175.00	175.00
	योग	2258.10	1129.05	**1129.05**

1- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-6/2020/बी-1-218/दस-2020-231/2020, दिनांक 18.05.2020 के प्रस्तर-1(6) में उल्लिखित व्यवस्थानुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट के विभिन्न मदों में यथा- कार्यालय-व्यय, यात्रा व्यय, स्थानान्तरण यात्रा व्यय, अवकाश यात्रा सुविधा, कम्प्यूटर

http://shasanadesh.up.gov.in

अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय, मुद्रण एवं प्रकाशन, विज्ञापन एवं प्रसार तथा वर्दी व्यय में बजट में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष व्यय में **25 प्रतिशत की कमी की जाय**। इन सभी मदों में किसी भी दशा में पुनर्विनियोग से धनराशि उपलब्ध नहीं करायी जायेगी।

2- कोषागार से धनराशि का आहरण आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा तथा धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।

3- वेतन हेतु स्वीकृत धनराशि से केवल शासन द्वारा अनुमोदित पदों के वेतन आदि का ही भुगतान किया जायेगा।

4- किसी भी दशा में उक्त धनराशि किसी अन्य मद में पुनर्विनियोग नहीं किया जायेगा। उक्त मदों पर होने वाला व्यय इस संबंध में समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा जारी किये गये मितव्ययिता संबंधी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- धनराशि का आवंटन (एलॉटमेन्ट मात्र) किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

4- उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक-2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं-001-निदेशन तथा प्रशासन-04-मण्डलीय तथा जिला कार्यालय की सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24.03.2020 एवं शासनादेश संख्या-6/2020/बी-1-218/दस-2020-231/2020, दिनांक 18.05.2020 में प्रदत्त निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(रवि शंकर मिश्र)
उप सचिव।

संख्या-1092(1)/बावन-1-2020- तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5- वित्त(ई-4) अनुभाग /वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 (02 प्रतियों में)/नियोजन अनुभाग-3
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रवि शंकर मिश्र)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in